राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2475/2023

उदयवीर सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला परिवहन अधिकारी, टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.09.2023
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 22.09.2023 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को निलम्बन से बहाली उपरान्त नवीन पदस्थापित स्थान जि.प. कार्यालय, सार्दुलशहर में पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी पूर्व में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर में कार्यरत था एवं अपीलार्थी को निलम्बन किये जाने के पश्चात निलम्बन काल में अपीलार्थी का मुख्यालय जोधपुर रखा गया था एवं उसके पश्चात टोंक रखा गया, परन्तु निलम्बन से बहाली के पश्चात अपीलार्थी के सम्बन्ध में कोई स्थानान्तरण आदेश पारित नहीं किया गया और अपीलार्थी को सीधे ही नवीन पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि निलम्बन से बहाली के पश्चात अपीलार्थी को उसी स्थान पर पदस्थापित रखा जाना चाहिए था जहां वह निलम्बन से पूर्व कार्यरत था। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी को निलम्बन के पश्चात उसी स्थान पर पदस्थापित करने के पश्चात स्थानान्तरण आदेश पारित किया जा सकता है, परन्तु आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी को सीधे ही अन्य जगह भेजा गया है, जो उचित नहीं है।

`

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 09.10.2016 के द्वारा जयपुर पदस्थापित किया गया था। इसके पश्चात अपीलार्थी को आदेश दिनांक 19.02.2020 द्वारा निलम्बित किया गया और अपीलार्थी का निलम्बन अवधि में मुख्यालय प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जोधपुर रखा गया। इसक पश्चात अपीलार्थी का आदेश दिनांक 09.06.2020 के द्वारा मुख्यालय परिवर्तन कर जोधपुर के स्थान पर मुख्यालय जिला परिवहन कार्यालय टोंक किया गया। अपीलार्थी वर्ष 2020 से निलम्बित रहा। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि निलम्बन के दौरान अपीलार्थी का पद खाली रखा जाए और अपीलार्थी को निलम्बन के बाद उसी स्थान पर पदस्थापित किया जाए जहां वह निलम्बन किये जाने से पूर्व कार्यरत था। अपीलार्थी को वर्तमान में निलम्बन के तीन वर्ष पश्चात बहाली उपरान्त पदस्थापन आदेश दिया गया है, जिसमें उसे नवीन पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति देने हेतु निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त आदेश में किसी भी प्रकार की विधि विरूद्धता होना हम नहीं पाते हैं।
4. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)